

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

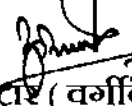
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2128 /2021 दिनांक 27.09.2021

श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को दिनांक 11.10.2021 से 12.10.2021 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 09.10.2021 से 10.10.2021 एवं 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

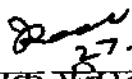

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/36/2016/ 6044

दिनांक 27.09.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 7039 दिनांक 04.09.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति देवी शर्मा (RJ1048), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक)


27.9.2021
सहायक रजिस्ट्रार